स्वापक औषधियॉ और मनोत्तेजक पदार्थ (छत्तीसगढ़) नियम, 1985

[Narcotic Drugs & Psychotropic Substance (C.G) Rule, 1985]

1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– ये नियम ''स्वापक औषधियॉ और मनोत्तेजक पदार्थ (छत्तीसगढ) नियम 1985'' कहे जा सकेंगे, जो 14 नवम्बर 1985 से प्रभावशील होगे ।

2 परिभाषाएं – इस नियम के अंर्तगत ''स्वापक औषधियॉ और मनोत्तेजक पदार्थ (छत्तीसगढ) नियम 1985'' से संबधित 13 शब्दो की परिभाषा दी गई है जैसे :–**''अनुज्ञप्त औषधि विक्रेता''** से अर्थ है विनिर्मित अफीम को छोडकर विनिर्मित औषधि और कोका पत्ती को अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे पर बिक्री और कब्जा के लिये इन नियमो के अर्न्तगत प्रारूप एन.डी. 2 या प्रारूप ओ.पी. 2 मे अनुज्ञप्ति धारित करने वाला व्यक्ति। इत्यादि

3 चिकित्सा व्यवसायी को अनुज्ञप्ति :– अफीम समाविष्ट करने वाली औषधि को नुस्खे पर बेचने और कब्जा रखने की इच्छा रखने वाला कोई अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी इस सम्बंध मे अनुज्ञप्ति के लिए कलेक्टर को आवेदन देगा ।

4 औषधि विक्रेता को अनुज्ञप्ति :– अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (15) मे यथा परिभाषित अफीम समाविष्ट करने वाली विनिर्मातायो को कब्जे मे रखने और बिक्री करने के लिये कोई औषधि विक्रेता उस सम्बंध मे अनुज्ञप्ति के लिए कलेक्टर को आवेदन पत्र देगा ।

5 आदी (व्यसनी) व्यक्तियो को अनुज्ञा :– अफीम उपयोग करने का आदी और चिकित्सीय प्रयोजन के लिये अफीम की मांग करने वाला कोई व्यक्ति, अपना नाम पंजीकरण कराने के लिये नियमानुसार आवश्यक विवरण देते हुए कलेक्टर को या उसके द्वारा संबध मे प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को आवेदन पेश करेगा ।

6 अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा का नवीनीकरण :– एक बार प्रदत्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा जो इन नियमो के अर्न्तगत निलम्बित या रदद नही की गई हो, आवेदन देने पर और क्रमशः दस और एक रूपया फीस संदाय किये जाने पर यथास्थिति, कलेक्टर या चिकित्सीय प्राधिकारी के द्वारा नवीनीकृत की जा सकेगी।

7 अन्तर्राज्य आयात, अन्तर्राजय निर्यात या परिवहन :– नियमो के उपबंधो के अध्यीयन रहते हुए कोई भी व्यक्ति, आबकारी आयुक्त के द्वारा प्रदत्त प्ररूप ओ.पी. 5 के अन्तर्गत पास के सिवाय अफीम का अर्न्तराज्य आयात, अर्न्तराज्यीय निर्यात या परिवहन नही करेगा ।

8 डाक द्वारा पारेषण :–

1 उपनियम (2) मे जैसा के उपबधित है उसके सिवाय कोई भी अफीम छत्तीसगढ मे या भीतर डाक के द्वारा आयात या परिवहित नही की जायेगी ।

2 अनुज्ञप्त औषधि विक्रेता या प्ररूप ओ.पी.1 मे अनुज्ञप्ति धारित करने वाला अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी अफीम समाविष्ट करने वाली विनिर्मित्तीयो को अन्तर्राज्य डाक द्वारा नियमानुसार शर्तो के अध्यधीन रहते हुए आयात या परिवहन कर सकता है

9 बिक्री :– केवल शासकीय गोदाम, छत्तीसगढ राज्य के कोषालय या उपकोषालय के सिवाय किसी अन्य स्थान मे अफीम नही बेची जायेगी ।

10. आबकारी आयुक्त के द्वारा पूरक निर्देश :– अधिनियम और इन नियमो के उपबन्धो के अघ्यधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त इन नियमेा के उपबन्धो को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये समय समय पर ऐसे विवरणियॉ और रजिस्टर विहित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे ।

11. शासकीय सेवको को प्रदत्त छुट :– शासकीय सेवक, को जब वह सरकार की ओर से कार्य करे और उनके इस प्रकार कर्तव्यो के दौरान, अफीम के आयात, निर्यात, अन्तर्राय निर्यात

परिवहन कब्जा और बिक्री या अन्तर्राज्य डाक के द्वारा उसके पारेषण से सम्बधित उपबन्धो से छूट है।

12. अस्पताल और औषधालय को प्रदत्त छुट :– अस्पताल और औषधालय को इस अधिनियम की धारा 2 मे परिभाषित अफीम के कब्जा और ब्रिकी से सम्बधित उपबन्धो से जहॉ तक सम्बधित अस्पतालो या औषधालयो के लिये विहित नियमो के अनुसार प्रदाय की गई औषधियो के लिये संदाय लेना ब्रिक्री मे समाविष्ट है, छुट प्राप्त है

13. अधिहरित सभी वस्तुओ और चीजे जिला आबकारी अधिकारी को दिया जाना :– अधिनियम के अर्न्तगत अधिहरित सभी वस्तुएं और चीजे जिसमे अधिहरण के आदेश पारित किये जा चुके है, जिले के जिला आबकारी अधिकारी को दे दी जायेगी।

14. अपील की अवधि तक व्ययन आस्थगित करना :–अधिनियम के अर्न्तगत अधिहरित कोई चीज या पशु की बिक्री या अन्य व्ययन, अधिहरण करने के आदेश के विरूद्ध अपील की अवधि जब तक समाप्त नही हो जाती या यदि ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील की जाय तो जब तक वह अपील निर्णीत न कर दी जाए, आस्थागित किया जायेगा ।

15 अधिकारियो और भेदिया को दिया जाने वाला ईनाम :– इस नियम के अर्न्तगत अफीम के जब्ती के संबंध मे अधिकारियो एवं भेदियो के लिये अफीम के प्रति किलो के अनुसार ईनाम के व्यवस्ता की गयी है ।

16. विनिमार्ण :– अनुज्ञप्त विक्रेता या अनुज्ञप्त औषधि विक्रेता, अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, सामग्री जिन्हे वह विधिक रूप से कब्जे मे रखने का अधिकारी है उनसे औषधीय अफीम या मार्फिन, डायसिटिल मार्फिन या कोकेन विनिर्मित कर सकता है।

17. अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी और छुट प्राप्त शासकीय अधिकारिया के द्वारा विनिर्माण :– अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी जो अपनी वृत्ति चलाने और शासन के अधिकारी, जो अपने पदीय कर्त्तव्य के दौरान या ऐसे कर्त्तव्य के प्रयोजनो के लिए औषधीय अफीम या मार्फिन, डायसिटिल मार्फीन या कोकेन समाविष्ट करने वाली कोई विनिर्मिति के विनिर्माण के लिये अपेक्षित है उसे विनिर्माण के संबध मे इन नियमो मे समाविष्ट उपबंधो से छूट प्राप्त होगी ।

18. निजी व्यक्ति के द्वारा कब्जा :– कोई व्यक्ति, विनिर्मित अफीम को छोडकर विनिर्मित औषधि की ऐसी मात्रा रख सकता है, जैसा कि एक बार मे अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे पर अपने उपयोग के लिये अभिमुक्ति प्रदान की गई या बेची गई हो ।

19. अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा कब्जा :– अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी अपनी वृत्ति को चलाने के लिये अपने उपयोग के लिये, विनिर्मित अफीम को छोडकर विनिर्मित औषधि ऐसी मात्राओ मे रख सकता है जो नियमानुसार विनिर्दिष्ट मात्रा के कुल से अधिक न हो ।

20. अनुज्ञप्त विक्रेता या अनुज्ञप्त औषधि विक्रेता के द्वारा कब्जा :– अनुज्ञप्त विक्रेता या अनुज्ञप्त औषधि विक्रेता विनिर्मित अफीम को छोडकर विनिर्मित औषधि और कोका पत्ती की ऐसी मात्रा और ऐसी रीति मे रख सकता है जैसा कि उसकी अनुज्ञप्ति मे विनिर्दिष्ट किया जाये ।

21. छुट :– विनिर्मित औषधि और कोका पत्ती के कब्जा के संबध मे शासन के पर्यवेक्षण के अर्न्तगत कार्यरत अस्पताल औषधालय इन नियमो मे समाविष्ट उपबंधो से छुट प्राप्त है ।

22. निजी व्यक्तियेा के द्वारा आयात :– कोई व्यक्ति विनिर्मित अफीम को छोडकर इतनी विनिर्मित औषधियॉ अन्तॅराज्य आयात कर सकता है जैसा कि वह नियम 18 के अर्न्तगत विधिपूर्वक रख सकता है।

23. अन्यो के द्वारा आयात :– नियमो मे विनिर्दिष्ट स्थितियो मे, विनिर्मित अफीम को छोडकर विनिर्मित औषधि को अफीम और कोका पत्ती केवल विनिर्दिष्ट प्राधिकारियो से प्रत्येक परेषण के लिए अलग अलग प्राप्त की जाने वाली अनुज्ञप्ति के अर्न्तगत अन्य राज्यो से आयात की जा सकती है ।

24. आयात, आयात अनुज्ञप्ति मे विनिर्दिष्ट प्रतिबंधो के अधीन :– विनिर्मित अफीम को छोडकर विनिर्मित औषधि और कोका पत्ती के आयात के लिए व्यक्ति जिसको इन नियमो के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो वह केवल उतनी मात्रा और ऐसी रीति से जैसा कि उसकी अनुज्ञप्ति मे विनिर्दिष्ट हो आयात करेगा ।

25. निर्यात :– विनिर्मित अफीम को छोडकर विनिर्मित औषधि और कोका पत्ती का अर्न्राज्य निर्यात करना, आबकारी आयुक्त के द्वारा प्ररूप एन.डी. 3 मे अनुज्ञप्ति केअर्न्तगत अनुमत किया जा सकता है, ऐसी अनुज्ञप्ति, आयात करने वाले राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी आयात अनुज्ञप्ति के पेश करने के सिवाय, ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान नही की जावेगी।

26. अभिवहन :– छत्तीसगढ मे से होकर किसी अन्य राज्य को प्रेषित विनिर्मित अफीम को छोडकर अन्य विनिर्मित औषधि और कोका पत्ती के अभिवहन के लिए प्रारूप एन.डी 3 मे अनुज्ञप्ति, उस राज्य के मुख्य आबकारी प्राधिकारी के द्वारा प्रयोजन के द्वारा आवेदन दिये जाने पर आबकारी आयुक्त के द्वारा प्रदान की जा सकती है वस्तुऍ सीलबंद पेकेजो मे ले जाई जाएंगी और मार्ग मे नही खोली जायेगी ।

27. परिवहन :– प्राधिकृत कब्जे की सीमा के अंदर विनिर्मित अफीम को छोडकर विनिर्मित औषधि और कोका पत्ती के परिवहन के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारियो द्वारा प्रदान की जा सकती है।

28. डाक द्वारा पारेषण :– डाक द्वारा पारेषण विनिर्मित अफीम को छोडकर विनिर्मित औषधियॉ और कोकापत्ती का अन्तर्देशीय डाक के द्वारा अन्तर्राज्य आयात, अर्न्तराज्य निर्यात या परिवहन प्रतिबंधित है, केवल अनुज्ञप्त औषधि विक्रेता और अनुज्ञप्त विक्रेताओ के द्वारा नियमो मे दिये गए शर्तो के अध्यधीन रहते हुए होगा ।

29. बिक्री की अनुज्ञप्ति :– केवल अनुज्ञप्त विक्रेता या अनुज्ञप्त औषधि विक्रेता जिसको कलेक्टर के द्वारा बिक्री के लिए क्रमशः प्रारूप एन.डी. 1 या एन.डी. 2 मे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो उनके सिवाय, विनिर्मित औषधि को छोडकर किसी विनिर्मित औषधि या कोका पत्ती की बिक्री प्रतिबंधित है।

30. अनुज्ञप्त विक्रेता के द्वारा बिक्री :– अनुज्ञप्त विक्रेता अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तो के अध्यधीन रहते हुये निम्न व्यक्तियो को ही केवल बेच सकता है :–

अ. इन नियमो के अर्न्तगत या भारत के किसी भाग मे तत्समय प्रवृत्त नियमो के अर्न्तगत अनुज्ञप्त विक्रेता या औषधि विक्रेता या

ब. अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी या

स. नियम 21 के अधीन छूट प्राप्त कोई चिकित्सा संस्था ।

31. अनुज्ञप्त औषधि विक्रेता के द्वारा बिक्री :– अनुज्ञप्त औषधि विक्रेता अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तो के अध्यधीन रहते हुये, विनिर्मित रहते हुये, विनिर्मित अफीम को छोडकर ऐसी विनिर्मित औषधियॉ या कोका पत्ती को केवल अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे पर बिक्री करेगा।

32. छुट :– इन नियमो के नियम 21 के अर्न्तगत छूट प्राप्त चिकित्सा संस्था भी, निर्मित अफीम तथा मारफीन से भिन्न विनिर्मित औषधियो की बिक्री के सम्बंध मे उपबन्धो से, जहॉ तक अस्पताल या औषधालयेा के लिये विहित नियमो के अनुसार प्रदाय की गई औषधियो के लिये संदाय लेना बिक्री मे शामिल है, छूट प्राप्त होगी ।

33. अतिरिक्त लेखा विवरणी अन्यो के द्वारा रखा जाना :–विनिर्मित औषधियो का आयातक, औषधियो का निर्माता और औषधि विक्रेता, क्रमश **एन डी–7,एन डी–8 और एन डी–9** मे लेखा का रजिस्टर और विवरणी आदि रखेगा ।

34.**अनुज्ञप्ति या आदेश की समाप्ति रददकरण या निलम्बन पर औषधियो का स्टाफ कलेक्टर को सौपा जाना** :– इन नियमो के अर्न्तगत प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति या पारित किसी आदेश के अर्न्तगत प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति की समाप्ति, रददकरण या निलम्बन पर उसका धारक शीध्र ही अपने कब्जे की सभी विनिर्मित औषाधि और कोका पत्ती कलेक्टर को सौंप देगा।

35.अनुज्ञप्ति के रददकरण पर जमा की गई औषधियो का व्ययन :– कलेक्टर, यादि आवश्यक हो नियम–34 के अर्न्तगत उसको सौंपी गई विनिर्मित अफीम को छोडकर सभी विनिर्मित औषधि और कोका पत्ती का रासायनिक परीक्षक के द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी के द्वारा जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्देशित करे, परीक्षण करा सकता है। कलेक्टर किसी अनुज्ञप्त विक्रेता ऐसी वस्तु की किसी मात्रा को जो बिक्री योग्य होना निर्धारित करे ऐसे मूल्य पर जैसा कलेक्टर निर्देशित करे खरीदने की अपेक्षा कर सकता है

36.कतिपय पदार्थो को उपबन्धो का लागू न होना :– इन नियमो के उपबन्ध कोडेन, डायोनिन और उनके सम्बधित लवणो के आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जा, या बिक्री को लागू नही होगे जब तक कि किसी संव्यवहार या कब्जा की मात्रा एक ही समय मे 450 ग्रम से अधिक नही होती है ।

37.आबकारी आयुक्त के द्वारा पूरक निर्देश :– अधिनियम और इन नियमो के उपबन्धो के अध्यधीन रहते हुये आबकारी आयुक्त, इन नियमो के उपबन्धो को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये, समय–समय पर ऐसे निर्देश दे सकता है। और ऐसे प्रारूप , विवरणी और रजिस्टर विहित कर सकता है जैसा वह उचित समझे ।

पोस्ता भूंसा नियम

{ दिनांक 03 मार्च 2012 को छत्तीसगढ राजपत्र (असाधारण) मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 10–10/2012/वा.क.(आब.) /पांच (06) के द्वारा :– स्वापक औषधियॉ और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा–8 तथा 10 के साथ सहपठित धारा –78 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वार नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज (छत्तीसगढ) नियम 1985 मे अध्याय –3 अ पोस्ता भूसा नियम एवं प्ररूप (पी.एस. 1 से 10 तक)को संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है, अर्थात } :–

37–क पोस्ता भूंसा का प्रतिषेध :– इन नियमो के उपबन्धित के सिवाय, अधिनियम और उसके अर्न्तगत बने नियम और आदेश के उपबन्धो के द्वारा उपबन्धित रीति और सीमा तक और इस अध्याय के उपबन्धो के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या दिये गये प्राधिकार की शर्तो और निर्बन्धनो के अनुसार केवल औषधीय या वैज्ञानिक प्रयोजनो के लिये छोडकर, इन नियमो मे उपबन्धित के सिवाय, पोस्ता भूसा का कब्जा, परिवहन, अन्तर्राज्य आयात, अन्तर्राज्य निर्यात, भंडारण, बिक्री, खरीदी उपभोग और उपयोग प्रतिषिद्ध है ।

37–ख पोस्ता भूसा की बिक्री के लिए डिपो :– पोस्ता भूसा के प्रदाय के लिए डिपो ऐसे स्थानो पर स्थापित किये जावेगे जैसा कि समय समय पर आबकारी आयुक्त निर्देशित करे । डिपो मे प्रदाय के लिये आवश्यक पोस्ता भूसा ऐसे स्थान या स्थानो से प्राप्त किया जा सकेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्देशित करे ।

37– ग विलोपित–

37–घ पोस्ता भूसा का प्रदाय/बिक्री –

(एक) चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए प्रारूप पी. एस 2 मे प्रदत्त थोक विक्रय अनुज्ञप्तिधारी तथा अधिकृत भण्डारण भाण्डागार अधिकारी के सिवाय, कोई भी व्यक्ति पोस्ता भूसा प्रदाय/विक्रय नही करेगा ।

(दो) विलोपित

(तीन) विलोपित

37–ड अनुज्ञापन अधिकारी और अनुज्ञप्ति फीस :–

1. प्ररूप पी एस 2 अनुज्ञप्ति, आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित निर्बधन तथा शर्तो के अधीन निविदा द्वारा मंजूर की जाएगी सम्पूर्ण राज्य के लिए पी. एस 2 अनुज्ञप्तिधारी पॉपीस्ट्रा का भण्डारण करेगा एवं आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत भण्डारण भांडागार तक मांग अनुसार मात्रा का प्रदाय करेगा (पी.एस.–2 अनुज्ञप्तिधारी पॉपी–स्ट्रा उत्पादक राज्यो मे से किसी एक राज्य का थोक अनुज्ञप्तिधारी अवश्य होगा ।
2. प्ररूप पी.एस. – 2 मे अनुज्ञप्ति, एक वर्ष या उसके भाग के लिए 1,00,000 रूपये अनुज्ञप्ति फीस के रूप मे संदाय करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा मंजूर की जावेगी अथवा नवीनीकृत की जा सकेगी ।
3. उस व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नही की जायेगी जो :–

. भारत का नागरिक ना हो, आयु 21वर्ष से कम हो, बुरे चरित्र का हो, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का घोषित कर दिया गया हो, अनुमोचित दिवालिया हो, नैत्तिक उद्यमता (Moralturpitude) के दांडिक अपराध मे न्यायालय द्वारा दंडित हो या राज्य आबकारी विभाग के द्वारा काली सूची कर दिया गया हो ।

37–च अन्तर्राज्य आयात :– प्रारूप पी.एस. 2 मे अनुज्ञप्ति धारित करने वाला अनुज्ञप्तिधारी ही अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा प्रदत्त पास के अनुसार पोस्ता भूसा अन्तर्राज्य आयात कर सकता है,(अर्न्तराष्ट्रीय आयात के लिये पास रू 10/– प्रति किलो ग्रम की दर से आयात फीस का भुगतान करने के पश्चात् प्ररूप **पी.एस. 4** मे जारी किया जाएगा)

37– छ अन्तर्राज्य निर्यात :– प्रारूप पी. एस 2 मे अनुज्ञप्तिधारी के सिवाय कोई भी व्यक्ति पोस्ता भूसा का अन्तर्राज्य निर्यात नही करेगा ।

37–ज परिवहन :– पॉपीस्ट्रा का परिवहन प्ररूप पी एस–5 मे पास के प्राधिकार के अधीन किया जाएगा परंतु **पी.एस.–7 या पी.एस.–10** मे अनुज्ञा पत्र धारण करने वाला व्यसनी पास के बिना ऐसे अनुज्ञा पत्र मे वर्णित सीमा तक पॉपीस्ट्रा का परिवहन कर सकेगा ।

37–झ अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा प्रदाय/विक्रय का स्थान :– प्रारूप पी.एस. 2 मे अनुज्ञप्ति धारित करने वाले अनुज्ञप्तिधारी उसकी अनुज्ञप्ति मे विनिर्दिष्ट स्थान या परिसरो के सिवाय अन्य स्थान या परिसरो से पोस्ता भूसा का प्रदाय नही करेगा पॉपी–स्ट्रा को फुटकर विक्रय राज्य के अधिकृत भण्डारण भाण्डागार से किया जाएगा ।

37–ञ अनुज्ञप्ति की शर्तो के पालन के लिए बंध पत्र :– किसी व्यक्ति को इस अध्याय के अर्न्तगत अनुज्ञप्ति प्रदान करने से अस्वीकार करना अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्वविवेक पर होगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति, शर्तो के सम्यक् रूप से पालन करने के लिये जिसके अधीन यह प्रस्तावित हो कि

उसके ऐसी शर्तो मे से किसी एक को भंग करने या ऐसे भंग किये जाने के लिये काारित करने या अनुमति देने की स्थिति मे या उस अवधि की समाप्ति के पूर्व जिसके लिये कि वह अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी उस अनुज्ञप्ति से सम्बधित व्यापार को छोडने के स्थिति मे बंधपत्र मे नामांकित राशि के अनधिक प्रतिकर जैसा अनुज्ञापन प्राधिकारी निर्धारित करे, पटाने के लिये बन्धपत्र नही दे देता है।

37–ट अनुज्ञप्ति और लेखा पेश करना :– इस अध्याय के अर्न्तगत पी.एस. 2 अनुज्ञप्ति धारित करने वाला अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 7 के अर्न्तगत नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिये तुरन्त अपनी अनुज्ञप्ति और लेखा पेश करेगा और वह दिन या रात के दौरान किसी भी समय इस अनुज्ञप्ति मे दिये गये स्थान या परिसर मे प्रवेश करने से ऐसे किसी अधिकारी को नही रोकेगा ।

37–ठ विवरणियॉ देना :– इस अध्याय के अर्न्तगत अनुज्ञप्ति धारित करने वाला पी. एस. 2 अनुज्ञप्तिधारी एंव अधिकृत भण्डारण भाण्डाागार भण्डारण अधिकारी ऐसी विवरणियॉ और जानकारी देगा/देगे जैसा कि समय – समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी उस के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अपेक्षा की जाए ।

37–ड बचत का व्ययन :– इस अध्याय के अर्न्तगत अनुज्ञप्ति धारित करने वाले अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति के रदद्करण या समाप्ति के बाद अनुज्ञप्तिधारी के पास बचत पोस्ता भूसा के व्ययन के लिये निम्नलिखित शर्ते लागू होगी :–

क. यदि अनुज्ञप्तिधारी ने उन्ही वस्तुओ के लिये नयी अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया हो जिसे कि पुरानी अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर शीध्र ही प्रभावशील होना है और उसी स्थान या परिसर के लिये प्रदान किया गया हो तब वह नयी अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिये बचत पोस्ता भूसा के भंडार को रोक कर रख सकता है

ख. यदि अनुज्ञप्ति धारी की नयी अनुज्ञप्ति भिन्न स्थान या परिसर के लिये हो तो पुरानी अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर शीघ्र ही ऐसे व्यक्ति के पास जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी, इस प्रयोजन के लिये सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा नियुक्त करे, अपने पोस्ता भूसा का भंडार जमा कर देगा और उस स्थान से नए स्थान पर केवल उपनिरीक्षक के पद से कम के न होने वाले आबकारी अधिकारी के द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा के अर्न्तगत के सिवाय उनके नही हटायेगा ।

37–ढ रेलवे प्राधिकारी या यातायात ऐजेन्सी :– कोई भी रेलवे प्राधिकारी या परिवहन एजेन्सी पर प्रतिबन्ध रेलवे प्राधिकारी या परिवहन एजेन्सी– पोस्ता भूसा या समाविष्ट करने वालाी दवा जो सील बन्द न हो और इस सम्बंध मे सशक्त कार्यालय से परिवहन पास सहित न हो, नही खरीदेगा या नही ले जायेगा ।

37–ण पोस्ता भूसा का औषधीय उपयोग :–

(1) अपने स्वतः के उपभोग के प्रयोजन के लिए पोस्ता भूसा रखने की इच्छा करने वाला कोई व्यक्ति प्रारूप पी. एस. 6 मे आवेदन पत्र आबकारी विभाग के जिला अधिकारी को अनुज्ञा के लिए देगा ।

(2) उपनियम–1 के अर्न्तगत आवेदन प्राप्त होने पर आबकारी विभाग के जिला अधिकारी ऐसी जांच करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि आवेदित की गई अनुज्ञा प्रदान करने मे कोई आपत्ति नही है तब प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 100 रूपये फीस संदाय किये जाने पर पी.एस. 7 मे अनुज्ञा नियमानुसार शर्तो की पूर्ति के पश्चात् प्रदान करेगा ।

37–त रीति जिसमे चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा सके :– उस जिले का चिकित्सा अधिकारी जहां पोस्ता भूसा का आदि (व्यसनी) निवास करता है, चिकित्सीय आधारो पर स्वतः के उपभोग के लिए पोस्ता भूसा के कब्जे मे रखने के लिए अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति को छुट देने के लिए उसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस नियम मे विहित की गई प्रक्रिया अपनायेगा ।

अ. चिकित्सा अधिकारी आवेदक को उसके स्वतः के आवेदन पर या आबकारी विभाग के जिला अधिकारी के निर्देश पर परीक्षण करेगा ।

ब. आवेदक का चिकित्सीय परीक्षण, आबकारी विभाग के जिला अधिकारी के द्वारा अन्यथा निर्देशित किये जाने के सिवाय, इस सम्बंध मे शासन के द्वारा नियुक्त स्थान मे होगा या चिकित्सा अधिकारी के मुख्यालय पर होगा ;

परन्तु यह कि आवेदक जो 60 वर्ष की आयु से अधिक का हो या जो चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने आपको पेश करने मे शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो उसे निवेदन पर और आबकारी विभाग के जिला अधिकारी की सिफारिश पर चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आवेदक के निवास स्थान पर परीक्षित किया जा सकेगा ।

चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, आबकारी विभाग के जिला अधिकारी, ऐसी मात्रा के लिये जैसा चिकित्सा अधिकारी के द्वारा सिफारिश की जाए और ऐसी रीति मे जैसा कि नियम 37–ण मे दिया गया है, प्रारूप पी. 7 मे आवेदक को अनुज्ञा देगा परंतु यह कि पोस्ता भूसा की मात्रा उत्तरोत्तर एवं आप ही आप प्रत्येक तिमाही मे 1/8 की कमी की जाएगी और यह अनुज्ञा मे स्पष्ट रूप से दिया जाएगा ।

37–थ वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए पोस्ता भूसा :–

1. कोई व्यक्ति जो मान्य विश्वविद्यालय का अनुसंधान विद्यार्थी हो या अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी या वैध हो जो नियम 37–ड के उपनियम 3 के अर्न्तगत उपबन्धो के अनुसार अयोग्य न हो वह वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए आवश्यक पोस्ता भूसा प्रदान करने के लिये आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकता है वह अपने आवेदन पत्र मे अपना नाम, पिता का नाम, आयु, निवास का स्थान, व्यवसाय यदि हो, प्रयोजन और मात्रा जिसमे पोस्ता भूसा की आवश्यकता हो लिखते हुए पेश करेगा ।
2. ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, आबकारी अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे।
3. यदि आबकारी आयुक्त, आवश्यकता की सत्यता और प्रयोजन जिसके लिए पोस्ता भूसा की जरूरत के संबंध मे सन्तुष्ट हो तो आवेदक जहॉ रहता है उस जिले के निकटतम भण्डारण भाण्डागार से पोस्ता भूसा प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है ।

37–द अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा का नवीनीकरण :– 1 इस अध्याय के अर्न्तगत एक बार प्रदत्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा जो इन नियमो के अर्न्तगत रदद् नही की गई हो आवेदन दिये जाने पर इस अध्याय के अर्न्तगत अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा के लिए विनिर्दिष्ट फीस पटाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी के द्वारा नवीनीकरण की जा सकेगी, ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रत्येक वर्ष 15 मार्च के पूर्व पेश किया जायेगा ।

2. यदि अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा विकृत, या गुम या नष्ट हो गई हो तो अनुज्ञापन अधिकारी ऐसी जांच करने के बाद जैसा

कि वह आवश्यक समझे, पचास रूपये फीस के भुगतान पर अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा की दुसरी प्रति दे सकता है ।

37–ध अभिवहन भत्ता :–

(अ) अभिवहन के दौरान चढाने, उतारने तथा हैंडलिंग मे कारित होने वाली पॉपी–स्ट्रा की वास्तविक हानि के लिये नीचे दिये गये उपनियम ख या ग मे उल्लिखित दर पर अभिवहन भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा संगणना का आधार परिवहन या निर्यात की गई पॉपी–स्ट्रा की वास्तविक मात्रा होगी।

ब) जिले के भीतर परिवहन के लिए पी.एस. 2 अनुज्ञप्तिधारी से भण्डारण भांडाागार तक छीजन(वेस्टेज) की अधिकतम सीमा **एक प्रतिशत** होगी ।

ग) जिले के बाहर पॉपी–स्ट्रा के समस्त परिवहनो या उसके निर्यात के लिए छीजन(वेस्टेज) की अनुज्ञेय सीमा **दो प्रतिशत** होगी ।

ध) उपरोक्त नियम (ख) या (ग) के अधीन विहित की गई सीमा से अधिक कमी की दशा मे अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे अधिक छीजन पर ऐसी दर से, जो 100/– प्रति किलोग्रम से अधिक न हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, इसके अतिकरिक्त वह अनुज्ञप्ति को रदद कर सकेगा या ऐसे रदद्करण के बदले मे इन उप नियमो के भंग का प्रशमन कर सकेगा ।

37–न भण्डारण हानि तथा विचलन का मार्जिन :– 1 पी.एस. 2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भंडारण किये गये पॉपीस्ट्रा का स्टाक रखने, थप्पियॉ लगाने, पॉपीस्ट्रा की पीसने , जलवायु मे परिवर्तन आदि के कारण भण्डारण हानि की अधिकतम सीमा **चार प्रतिशत** तक होगी।

अ. इसी प्रकार अधिकृत भण्डारण भाण्डाागार के भाण्डागार अधिकारी द्वारा भण्डारण किये गये पॉपीस्ट्रा के स्टाक को रखने, थप्पियां लगाने तथा जलवायु मे परिर्वतन आदि के कारण भण्डारण हानि की अधिकतम सीमा **दो प्रतिशत** तक होगी।

ब. अनुज्ञेय सीमा की गणना, अनुज्ञप्तिधारी/भण्डारण भाण्डाागार अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान प्राप्त की गई पॉपी–स्ट्रा की कुल मात्रा पर की जाएगी।

2. पी.एस. 2 अनुज्ञप्तिधारी भण्डारण के भाण्डागार के पास भण्डारित पॉपी–स्ट्रा के वजन मे वर्षा/शीत ऋतु मे नमी सोखने के कारण वृद्धि हो सकती है इसलिए वर्षा/शीत ऋतु के दौरान अनुज्ञप्तिधारी/भण्डारण भांडागार अधिकारी द्वारा धारित अतिशेष पॉपी–स्ट्रा के स्टाक पर विचलन का मार्जिन एक प्रतिशत तक अनुज्ञात है ।

(**टीप** :– उक्त नियम के संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2012 से प्रवृत्त होगा ।)

अपील

38. अपील :– किसी आबकारी अधिकारी के मूल या अपीलीय आदेश के विरूद्ध निम्न प्रकार अपील होगी :–

1 जब आदेश कलेक्टर से कम श्रेणी के आबकारी अधिकारी के द्वारा पारित किया गया हो ता कलेक्टर को होगी

2 जब आदेश कलेक्टरके द्वारा पारित किया गया हो तो आबकारी आयुक्त को होगी ।

3 जब आदेश आबकारी आयुक्त के द्वारा पारित किया हो तो राज्य शासन को होगी ।

39. अपील की अवधि और आपत्ति किये गये आदेश की प्रतिलिपि का याचिका के साथ संलग्र किया जाना :– प्रत्येक अपील की याचिका, जिस निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील की गई उस निर्णय या आदेश की तिथि से तीस दिनो के अन्दर पेश की जावेगी । ऐसे निर्णय या आदेश की मूल प्रति के साथ होगी ।

40. अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति :– अपीलीय प्राधिकारी या तो तो अपील को स्वीकार कर सकेगा या अभिलेख मंगवाने और अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात उसे सक्षिप्ततः अस्वीकार कर सकेगा ।

41. आदेशो निष्पादन को स्थगित करने की शक्ति :– यादि अपील स्वीकार की जाती है तो अपीलीय अधिकारी निर्देश दे सकता है कि जिस आदेश के विरूद्ध अपील गई है उसके निष्पादन को अपील के निर्णय तक लम्बित अवस्था मे स्थगित किया जाये।

42.जब अपील अन्तिम होगी :– जब मूल आदेश प्रथम अपील मे पुष्ट कर दिया जाता है तो द्वितीय अपील प्रस्तुत नही होगी।

जब अपील मे कलेक्टर के द्वारा ऐसे किसी आदेश को परिवर्धित या उलट दिया जाता है तो आबकारी आयुक्त के द्वारा द्वितीय अपील मे पारित आदेश अन्तिम होगा ।

43. वरिष्ठ अधिकारियो की पुनरीक्षण की शक्ति :– मुख्या राजस्व अधिकारी या आबकारी आयुक्त या कलेक्टर स्वप्रेरणा या किसी पक्षकार के द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर किसी भी समय अपने अधीनस्थ किसी भी
पदाधिकारी द्वारा परित किये गये किसी निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध मे या उसकी कार्यवाहीयो की नियमितता के संबंध मे मामले का अभिलेख मंगा सकेगा परीक्षा कर सकेगा और उचित आदेश दे सकेगा ।

44. पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्र :– पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्र उसी रीति से पेश किया जायेगा जैसे अपील की याचिका मे पेश होती है।

45. कतिपय आवेदन के विरुध अपील नही :– पुनरीक्षण आवेदन पत्र को खारिज करने के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही होगी।

46. अपीले या पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्र के स्थानान्तरण :– राज्य शसन किसी अपील या पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्र को आबाकारी आयुक्त या कलेक्टर से आवेदन पत्र अध्याय 1 के नियमो के नियम 2 के खण्ड ग या खण्ड घ के अर्न्तगत ऐसी अपीले या आवेदन पत्रो को निपटाने के लिये विशेषरूप्प से प्राधिकृत अधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है।

47. प्राधिकारी/पदाधिकारी जिसको पुनरीक्षण प्रस्तुत होता है :– आबकारी अधिकारी के द्वारा पारित कोई आदेश राज्य शासन के द्वारा आबकारी आयुक्त या कलेक्टर के द्वारा जिसका वह पदाधिकारी इन नियमो के अर्न्तगत अधीनस्थ हो, या तो अपनी स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी व्यक्ति या पक्षकार के आवेदन पर पुनरीक्षित किया जा सकता है और बाद वाले मामले मे आवेदन पत्र उसी रीति से किया जायेगा जैसे कि अपील का ज्ञापन पेश किया जाता है ।

47.(क) मान्यता प्राप्त चिकिव्सा संस्थाओ द्वारा मारफीन के उपयोग आदि के संबध मे विशेष उपबंध :– इन नियमो मे अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था के संबंध मे या उसके द्वारा मारफीन या मारफीन युक्त किसी निर्मित का कब्जा परिवहन क्रय,विक्रय, अर्न्राज्यीय, आयात, निर्यात, या उसका उपयोग उपबंधो के अनुसार होगा ।

47.(ख) परिभाषाएं :– मारफीन मे सम्मिलित है मारफिन युक्त कोई भी निर्मिति । मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था से अभिप्रेत है मान्यता प्राप्त कोई अस्पताल या कोई चिकित्सा संस्था

47.(ग) चिकित्सा संस्थाओ की मान्यता तथा उसका रदद् किया जाना :– प्रत्येक चिकित्सा संस्था जो इस अध्याय के प्रयोजनो के लिए मान्यता प्राप्त करने का आशय रखनी है औषधि नियंत्रक

छत्तीसगढ को प्ररूप एम 1 मे आवेदन करेगी, और किन्ही नियमो का अनुपालन नही किया गया है तो औषधि नियंत्रक मान्यता का प्रतिसंहरण कर सकेगा ।

47.(ट) **अपील** :–औषधि नियंत्रक द्वारा किसी संस्था की मान्यता, मान्यता के प्रतिसंहरण या प्राकलनो का अनुमोदन नही करने या अनुमोदन को रदद किये जाने से संबधित किसी विनिश्चय या पारित किए गए आदेश से व्यथित कोई संस्था ऐसे विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से 90 दिन के भीतर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपील कर सकेगी ।

सामान्य

48.**अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा की अवधि :–** पुर्वोत्तर उपबन्धो के अन्तगर्तो कोई भी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा, यथास्थिति अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के प्रारंभ की तिथि के बाद आगामी 31 मार्च के बाद किसी अवधि के लिये प्रदान नही की जावेगी ।

49.अनुज्ञप्तिधारी का व्यक्तिगत चरित्र :– इन नियमो के अर्न्तगत प्रदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति उसमे नामांकित अनुज्ञप्तिधारी को व्यक्तिगत रूप से प्रदत्त की गई मानी जायेगी और उसकी समाप्ति पर जिला आबकारी अधिकारी को अभ्यर्पित कर दी जायेगी । यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान मर जाता है तब ऐसी अनुज्ञप्ति प्रभावशील नही रहेगी ।

50.अनुज्ञप्ति या आदेशो का रदद्करण :– किन्ही निर्देशो के अध्यधीन रहते हुये जो कि आबकारी आयुक्त इस सम्बंध मे दे अधिकारी जिसने अनुज्ञप्ति प्रदान किया हो या इन नियमो के अर्न्तगत किसी व्यक्ति को आदेश के द्वारा अनुमोदित या प्राधिकृत किया हो ऐसी अनुज्ञप्ति या आदेश को रदद या निलम्बित कर सकता है।

51.निरसन और व्यवृत्तियॉ :– छ.ग अफीम नियम 1959 छ.ग अनिष्टकर औषधि नियम 1959 और छ.ग. पोस्ता भूसा नियम 1959 एतद्द्वारा निरसित किये जाते है ।